

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के अधिसूचना सं० ई/ 11/227/समापक अनुभाग/लखनऊ/2017 दिनांक 07.11.17 में आशिक संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के पत्र सं० ई/एनजी-11/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 12.12.17 के अनुपालन में पुर्ननियोजन पर आवेदक की 62 वर्ष की आयु के स्थान पर 65 वर्ष तथा इस योजना की वैधता 14.09.18 के बजाए 01.12.19 तक की जाती है को पढा तथा समझा जाए।

मंकाधि

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का०)

लखनऊ

दिनांक-01.10.18

सं० ई/ 11/59/पुर्ननियोजन/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- महाप्रबन्धक (का०) गोरखपुर
- 2- मरेप्र/अमरेप्र/लखनऊ
- 3- सभी शाखाधिकारी/लखनऊ मण्डल
- 4- मंडल मंत्री/नरमू/एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/पेंशनर एस०/लखनऊ
- 5- वेबसाइट
- 6- नोटिस बोर्ड

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का०)

लखनऊ